न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 84/2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/79

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जयन्तीलाल पुत्र शिव लाल जाति जैन निवासी रेवदर जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर 2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही राजस्थान 3. तहसीलदार, रेवदर जिला सिरोही 4. भगवती फिलिंग स्टेशन, दौलपुरा, तहसील रेवदर जिला–सिरोही जरिये भागीदार भगवानाराम पुत्र अलाराम जाति रेबारी निवासी जीरावल तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के अपील संख्या 39/2022 दिनांक 13.04.2023 अनवान जयन्तिलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह में पारित किया गया

उपस्थिति :–
1. श्री जय प्रकाश भारद्वाज, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. राजस्थान राज्य जरिये, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर, रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 4

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 13 मार्च, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड रेवदर ने तहसीलदार, रेवदर जिला सिरोही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि दौलपुरा के खसरा नंबर 33 में राज मार्ग संख्या 11 में हर्ष वगैरह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ हैं। जिस पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 27–10–2022 को पारित किया गया। तहसीलदार, रेवदर ने निर्णय पारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दौलपुरा के खसरा नंबर 33 [illegible].10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.03.15 20:52:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी जयन्तिलाल की ओर से तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2022 से व्यथित होकर प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 39/2022 अनवान जयन्तिलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,

सिरोही ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही ने अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य द्वारा सांचौर रानीवाडा, मण्डार, रेवदर, करोंटि, आबूरोड़ राजमार्ग 11 ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया। अपीलार्थी की अपील खारिज की गई।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–04–2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरूद्ध 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सहित अन्य अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 29–07–2022 नियत की गई, लेकिन नियत दिनांक 27–07–2022 को अपीलार्थी व अन्य अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए। जिस पर प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 29–07–2022 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य को ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 0.2.10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी जयन्तिलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। फिर भी तहसीलदार, रेवदर ने अपने आदेश दिनांक 27–10–2022 के द्वारा ग्राम दौलपुरा के खसरा नंबर 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि पर अपीलाण्ट जयन्तिलाल व अन्य को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 39/2022 अनवान जयन्तिलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को पारित किया गया। दोनो माननीय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मुझ अपीलाण्ट को बिना सुने आदेश पारित किये गये है जो निरस्त योग्य हैं।

ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 कृषि भूमि [illegible]ण्ट की खातेदारी कृषि भूमि होने से अपनी कृषि भूमि पर बाउण्ड्री [illegible] भूमि में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल की कार्यवाही की गई [illegible] विधि एवं न्याय के विपरीत हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.03.15 20:52:57 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर ने बहस के दोरान निवेदन किया कि अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरूद्ध सांचौर, रानीवाड मण्डार, रेवदर कारोंटी आबूरोड राजमार्ग संख्या 11 खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा

सड़क सीमा में बाउण्ड्री वॉल बनाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये, लेकिन नियत सुनवाई तिथि 29–07–2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–08–2022 को आदेश दिनांक 29–09–2022 को अपास्त कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने की अनुमति देते हुए आगामी दिनांक 30–08–2022 नियत की गई, लेकिन अपीलार्थी ने सुनवाई तिथि 30–08–2022, 27–09–2022 व 10–10–2022 को जवाब प्रस्तुत नही किया गया हैं। खसरा संख्या 33 जो कि राजकीय भूमि है तथा राज्य राजमार्ग सीमा में स्थित भूमि है, पर अपीलाण्ट अतिक्रमण कर बैठे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. बहस के द्वौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मेरी फर्म भगवती फिलिंग स्टेशन दोलपुरा जिसका प्रोपराईटर मैं भगवानाराम पुत्र आलाराम निवासी जीरावल एवं मोतीराम पुत्र साकलाराम निवासी वरमाण तहसील रेवदर, जिला सिरोही इस फर्म के प्रोपराईटर हैं। मैने एल ओ एल ली है एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 35/36 ग्राम दौलपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही का कन्वरर्जन भी करवा लिया है। कलक्टर महोदय के आदेशानुसार दिनांक 27–04–2022 के अंतर्गत अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अनापति प्रमाण पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित स्थल के पास मैसर्स पुजा पेट्रोलियम पम्प तक की दुरी 300 मीटर से कम होने पर आवेदक कम्पनी द्वारा अर्थात मेरी फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे से दोनो ही पम्पो के मध्य 7 मीटर के मध्य 7 सर्विस रोड बनाने के लिए तैयार है लेकिन खसरा संख्या 33 में जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है तथा जिस पर जयन्तिलाल पुत्र शिवलाल जैन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उससे मुझ रेस्पोडेण्ट्स मेरी फर्म को बहुत भारी नुक्सान हो रहा हैं क्योंकि अनापति प्रमाण पत्र में शर्त संख्या 2 के अलावा सभी शर्ते पूर्ण कर ली गयी है, मेरा पेट्रोल पम्प तैयार पड़ा है। अपीलाण्ट जयन्तीलाल द्वारा अतिक्रमण करने से पेट्रोल चालु नही हो रहा है जिससे मुझे वित्तिय नुकसान हो रहा हैं।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित कार्यवाही के दौरान भागीदार भगवती फिलींग स्टेशन, दौलपुरा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 14477/2022 प्रस्तुत की गई जिसमें तहसीलदार, रेवदर के आदेश दिनांक 17–08–2022 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त रिट याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2022 को निस्तारित कर तहसीलदार, रेवदर को यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार, रेवदर के समक्ष लंबित धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही को एक माह की अवधि में निस्तारित करने के आदेश पारित किये गये। जिस पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा विधि के अनुसार आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा मुझे पक्षकार नही बनाया गया था, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला सिरोही में मुझ रेस्पोडेण्टस को दिनांक 22–02–2023 को पक्षकार बनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.03.15 20:52:57 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील में जो दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अनुसार द्वितीय अपील में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि द्वितीय अपील में माननीय न्यायालय को कानुनी बिन्दु देखने हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा अपीलाण्ट को नियत सुनवाई तिथि दिनांक 30–08–2022, 27–09–2022 व 10–10–2022 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही किया तथा इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा भी प्रयाप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है और दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशानुसार अपीलाण्ट जयन्तीलाल द्वारा राजमार्ग संख्या 11 ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.100 बीघा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल बनाकर

अतिक्रमण किया गया है। सरकारी भूमि में अतिक्रमण करने से अपील अपीलाण्ट सव्यय खारिज फरवाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस का प्रत्युतर देते हुये निवेदन किया कि ग्राम दौलपुरा के खसरा नंबर 33 मेरी खातेदारी भूमि होने से अतिक्रमण करने का कथन गलत हैं। अतः अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश खारिज किया जा कर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाये।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड, रेवदर पत्रांक सअ/रेवदर/77 दिनांक 19–07–2022 द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरूद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क सीमा 99/350 व 550 नेशनल हाईवे 11 में अतिक्रमण हटाने के संबंध में रिपोर्ट/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट/प्रार्थना–पत्र के साथ मौके का नजरी नक्शा व भू–अभिलेख निरीक्षक, दत्ताणी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11–07–2022 की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी सहित अन्य को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29–07–2022 को सुनवाई हेतु नियत की गई, अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर का नोटिस दिनांक 28–07–2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी जयन्तीलाल बावजुद नोटिस तामिल के अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर का नियत सुनवाई तारीख 29–07–2022 को न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा अपीलाण्ट को नियत सुनवाई तिथि दिनांक 30–08–2022, 27–09–2022 व 10–10–2022 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजुद अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 27–10–2022 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य को ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 0.2.100 बीघा किस्म बंजर भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट जयन्तिलाल की ओर से तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2022 से व्यथित होकर प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 39/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा निर्णय दिनांक 13, अपैल 2023 को पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जयन्तिलाल को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, लेकिन उसके बावजुद भी अपीलार्थी जयन्तिलाल ने अधीनस्थ न्यायालय तहसलदार, रेवदर में जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है तथा अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य द्वारा सांचौर, रानीवाडा, मण्डार, रेवदर, करोंटि, आबूरोड राजमार्ग संख्या 11 ग्राम [illegible] के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल [illegible] अतिक्रमण किया [illegible] हैं। अतः अपीलार्थी जयन्तीलाल की अपील खारिज की गई। अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 13–04–2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 की भूमि खुद की खातेदारी भूमि होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी जयन्तिलाल के प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर ने दिनांक 17–08–2022 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर सुनवाई हेतु दिनांक 30–08–2022 नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.03.15 20:52:57 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए सुनवाई हेतु अतिक्रमियों को पुनः नोटिस जारी किये गये, लेकिन नियत सुनवाई तारीख 30–08–2022, 27–09–2022 व 10–10–2022 को अपीलार्थी जयन्तिलाल द्वारा जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया। न ही अपीलार्थी जयन्तीलाल द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत अपील में खुद की खातेदारी होने के संबंध में कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, रेवदर के निर्णय दिनांक 17–08–2022 तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के निर्णय दिनांक 13 अप्रैल, 2023 द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही का निर्णय दिनांक 13 अप्रेल, 2023 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का मूल रिकॉर्ड प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
पाली

कार्यालय संभागीय आयुक्त पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13 मार्च, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले इजलास में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.03.15 20:52:57 IST
Reason: SelfAttested